संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष)
इंद्रावती भवन, ब्लॉक-4, प्रथम तल,
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

विभाग के अधीन संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा

-:: विभागीय विज्ञापन ::-

राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2014 यथासंशोधित 2019 के अधीन एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किये जाने हेतु उम्मीदवारों से व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन दिनांक 08/05/2023 से आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद	योग
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	प्रशिक्षण अधिकारी, इंफारमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नॉलाजी सिस्टम मेटेनेंस	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	प्रशिक्षण अधिकारी, इलेक्ट्रिशियन	22	6	16	7	6	1	4	2	2	0	1	0	4 (2-OL, DW, AAV and 2 -HI)	51
3	प्रशिक्षण अधिकारी, कम्प्युटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	36	10	28	12	10	3	8	3	3	1	2	1	6 (3-OA, OL, DW, AAV, OAL, 3- HI)	86
4	प्रशिक्षण अधिकारी, कारपेंटर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	प्रशिक्षण अधिकारी, टर्नर	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6	प्रशिक्षण अधिकारी, ड्राईवर कम मैकेनिक	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7	प्रशिक्षण अधिकारी, ड्राफ्ट्समेन मैकेनिकल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	प्रशिक्षण अधिकारी, फिटर	20	6	15	7	6	1	4	2	2	0	1	0	3 (2-OL, DW, AAV and 1 -HI)	48
9	प्रशिक्षण अधिकारी, मशीनिष्ट	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
10	प्रशिक्षण अधिकारी, मशीनिष्ट ग्राइंडर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	प्रशिक्षण अधिकारी, मेसन (बिल्डिंग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

	कंस्ट्रक्टर)														
12	प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक ट्रैक्टर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
13	प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक डीजल	13	4	10	5	3	1	3	1	1	0	1	0	2 (1-OL, and 1 -LV)	32
14	प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक मोटर व्हीकल	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
15	प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडिशनर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	प्रशिक्षण अधिकारी, वर्कशॉप कैल्युलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग	30	9	23	10	9	2	6	3	3	0	2	1	5 (OA, OL, DW, AAV)	72
17	प्रशिक्षण अधिकारी, वायरमैन	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
18	प्रशिक्षण अधिकारी, वेल्डर	13	4	9	4	3	1	2	1	1	0	0	0	2 (1-OA, and 1-HI)	30
19	प्रशिक्षण अधिकारी, शीट मेटल वर्कर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	प्रशिक्षण अधिकारी, सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस (अंग्रेजी)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
21	प्रशिक्षण अधिकारी, सिविंग टेक्नॉलाजी	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
22	प्रशिक्षण अधिकारी, हॉस्पीटल हाउस कीपिंग	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
23	प्रशिक्षण अधिकारी, एम्लायबिलिटी स्किल	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	योग														366

शब्द संक्षेप – 1. OA-ONE ARM, OL-ONE LEG, HI-HEAIRING IMPAIRED (PARTIALLY DEAF), AAV-ACID ATTACK VICTIMS, DW-DWARFISM, LV-LOW VISION, OAL-ONE ARM AND ONE LEG.

2. अना. – अनारक्षित, अ.जा. – अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. – अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. – अन्य पिछड़ा वर्ग

<u>महत्वपूर्ण टीप:-</u>

1. रिक्त पदों की संख्या तथा ट्रेड एवं विषय में परिवर्तन/बदलाव किया जा सकता है ।
2. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा ।
3. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी दिव्यांगजन, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जिसमें उनकी दिव्यांगता के प्रकार का विज्ञापन में दर्शाये अनुसार स्पष्ट उल्लेख हो) प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ही दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

4. <u>ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी विहित अर्हता नहीं रखता है अथवा पात्रता नहीं रखता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा</u> ।

5. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासियों को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं :-

क्र.	पदनाम	विहित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव
1	प्रशिक्षण अधिकारी, इंफारमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नॉलाजी सिस्टम मेटेनेंस	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
2	प्रशिक्षण अधिकारी, इलेक्ट्रिशियन	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव

		पत्रोपाधिधारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
3	प्रशिक्षण अधिकारी, कम्प्युटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्युटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा डीओई (डीओईएसीसी) से 'ए' स्तर का प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बीसीए/पीजीडीसीए। (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
4	प्रशिक्षण अधिकारी, कारपेंटर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल/ प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
5	प्रशिक्षण अधिकारी, टर्नर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं

		राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
6	प्रशिक्षण अधिकारी, ड्राईवर कम मैकेनिक	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) हल्के मोटरयान (एलएमव्ही) का वैध स्थायी लायसेंस अनिवार्य है। (4) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (5) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
7	प्रशिक्षण अधिकारी, ड्राफ्ट्समेन मैकेनिकल	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से

		(ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
8	प्रशिक्षण अधिकारी, फिटर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
9	प्रशिक्षण अधिकारी, मशीनिष्ट	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
10	प्रशिक्षण अधिकारी, मशीनिष्ट ग्राइंडर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव

		पत्रोपाधिधारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **अधिमान:-** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
11	प्रशिक्षण अधिकारी, मेसन (बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर)	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **अनुभव :- (निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **अधिमान:-** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
12	प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक ट्रैक्टर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) हल्के मोटरयान (एलएमव्ही) का वैध स्थायी लायसेंस अनिवार्य है। (4) **अनुभव :- (निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (5) **अधिमान:-** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
13	प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक डीजल	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं

		राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) हल्के मोटरयान (एलएमव्ही) का वैध स्थायी लायसेंस अनिवार्य है। (4) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (5) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
14	प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक मोटर व्हीकल	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) हल्के मोटरयान (एलएमव्ही) का वैध स्थायी लायसेंस अनिवार्य है। (4) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (5) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
15	प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडिशनर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव

		(4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
16	प्रशिक्षण अधिकारी, वर्कशॉप कैल्युलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्रॉइंग	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
17	प्रशिक्षण अधिकारी, वायरमैन	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
18	प्रशिक्षण अधिकारी, वेल्डर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल/ प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव

		पत्रोपाधिधारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) <u>**अधिमान:-**</u> अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
19	प्रशिक्षण अधिकारी, शीट मेटल वर्कर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल/ प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) <u>**अनुभव :- (निर्धारित**</u> **प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) <u>**अधिमान:-**</u> अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
20	प्रशिक्षण अधिकारी, सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस (अंग्रेजी)	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मॉडर्न ऑफिस मेनेजमेंट में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण (3) <u>**अनुभव :- (निर्धारित**</u> **प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) <u>**अधिमान:-**</u> अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
21	प्रशिक्षण अधिकारी, सिविंग टेक्नॉलाजी	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कस्टम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग / गारमेंट

		टेक्नालॉजी इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
22	प्रशिक्षण अधिकारी, हॉस्पीटल हाउस कीपिंग	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से पब्लिक हेल्थ/बायो साइंस फिजियोलॉजी/नर्सिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) **<u>अनुभव :- (निर्धारित</u> प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)** **उपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव **पत्रोपाधिधारियों के लिए:** संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के लिए: संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) **<u>अधिमान:-</u>** अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
23	प्रशिक्षण अधिकारी, एम्लायबिलिटी स्किल	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन (बी.बी.ए.) में स्नातक उपाधि।

(ii) सेवा श्रेणी – तृतीय श्रेणी
(iii) वेतन मैट्रिक्स – लेवल 8 (35400-112400/-)

(3) **<u>परिवीक्षा अवधि</u>**:- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी। परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेंड देय होगाः–

प्रथम वर्षः– पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत।
द्वितीय वर्षः– पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत।
तृतीय वर्षः– पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत।

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगें।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू वेतनमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

<u>महत्वपूर्ण नोट</u>:-

(i) अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताओं, वांछित अनुभव एवं अन्य अर्हता तथा आवश्यक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई, शैक्षणिक अर्हताओं, वांछित अनुभव एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगें।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदक को व्यापम के पोर्टल में वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले एवं न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिये पात्र नहीं होगें।

(iii) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा चयन सूची जारी करने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

(4) **पदों हेतु आरक्षण :-**

(i) उपरोक्त पदों पर चयन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(ii) राज्य में सीधी भर्ती के पदों के लिए लागू महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी किए गये नियम/निर्देश लागू होंगे।

(5) **निर्धारित आयु सीमा**:-

छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो.

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कंटिंजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- ''छंटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य जो इस राज्य (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की

तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(vii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(viii) राज्य (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित “शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं ” को उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ix) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रसित छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(x) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों /पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिये उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

<u>महत्वपूर्ण टीप</u>:-

(i) सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा।

(iii) आयु की गणना दिनांक-01.01.2023 के संदर्भ में की जायेगी।

(iv) <u>अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, वांछित अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें।</u> परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया

गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(v) आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताओं का प्रमाण पत्र, स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पत्रोपाधि, वांछित अनुभव प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वांछित स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस तथा आयु संबंधी प्रमाण (सामान्यतः हाई स्कूल/मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगें) एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है।

(vi) विज्ञापित पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची अभ्यर्थी के पास होने अनिवार्य है।

(vii) अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे मान्य नहीं किया जावेगा। निशुल्क अथवा मानसेवी अध्यापन का अनुभव मान्य नहीं होगा।

(6) **<u>जाति प्रमाण पत्र</u>:-**

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल/स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जायेगा।

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का वही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष (2021-2022, 2020-2021 तथा 2019-2020) के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र पर आधारित हो।

(7) <u>नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र</u>:-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

(ii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका परीक्षा तो लिया जायेगा, परन्तु परीक्षा पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिये शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) **<u>अनर्हता</u>:** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक की उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक या शारिरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारिरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारिरिक दोष से मुक्त न पाया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाये।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।

(9) <u>चयन प्रक्रिया</u>:-

(i) चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी ।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों एवं विज्ञापन में दर्शित अधिमान (यदि कोई हो तो) को मिलाकर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

(iii) आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन, ट्रेडवार/विषयवार परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना, ऑनलाईन आवेदन की विधि आदि के विस्तृत निर्देश व्यापम के वेबसाइट http://vyapam.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

(10) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद या बिंदु पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा। किसी भी समय इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी को होगा।

(11) चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा।

(12) इस विज्ञापन के अधीन होने वाली नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(13) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थापना दी जावेगी।

(14) इस नियुक्ति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

संचालक
रोजगार एवं प्रशिक्षण

<u>अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>

जारी करने वाली संस्था का नाम, पता,
ई-मेल पता एवं दूरभाष क्रमांक...................................

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री .... इस संस्था में दिनांक .... से दिनांक................................ तक .... पद पर कार्यरत रहे/हैं। इस दौरान उनका वेतन प्रतिमाह रू. .... था/है।

उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा .... व्यवसाय/संकाय में शैक्षणिक कार्य संपादित किया/जा रहा है।

2/ उक्त अवधि में उन्हें भुगतान किये गये वेतन तथा नियुक्ति आदि से संबंधित अभिलेख इस कार्यालय में संधारित हैं एवं सुरक्षित है तथा कभी भी आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

....
जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर,
नाम एवं पदनाम, मोबाइल नंबर सहित